संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापकों (विद्यालयों) हेतु स्थानान्तरण नीति

1. विस्तार

यह नीति सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन सभी विद्यालयों के अध्यापकों (अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक ग्रेड II एवं ग्रेड III, एवं अन्य समकक्ष पद) पर लागू होगी।

2. स्थानान्तरण प्रक्रिया

संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापकों के समस्त संवर्गों के स्थानान्तरण इस नीति के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा किये जावेंगे।

3. स्थानान्तरण कार्यक्रम

निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से समय–समय पर स्थानान्तरण कार्यक्रम जारी किया जावेगा। सामान्यतया स्थानान्तरण/पदोन्नति/पदस्थापन की कार्यवाही 01 अप्रेल से 30 जून तक सम्पादित की जायेगी। निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा स्थानान्तरण हेतु रिक्तियों का निर्धारण किया जाएगा एवं वर्तमान में स्पष्ट रूप से रिक्त पदों एवं अनिवार्य स्थानान्तरण से रिक्त होने वाले पदो के आधार पर रिक्त पदों की समग्र सूची का प्रदर्शन विभागीय वैबसाइट एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा के कार्यालय में 01 अप्रेल से 15 अप्रेल के मध्य किया जाएगा। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार स्थानान्तरण के इच्छुक अध्यापकों द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा को अपना स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र दिनांक 16 अप्रेल से 30 अप्रेल के मध्य प्रस्तुत किया जाएगा। निदेशक द्वारा इस नीति के अनुसार अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण योग्य अध्यापकों की सूची एवं स्वयं के प्रार्थना–पत्र पर स्थानान्तरण के प्रार्थना–पत्रों के परीक्षण के उपरान्त पात्रता अंकों का आवंटन कर वरीयता सूची का प्रकाशन दिनांक 01 मई से 15 मई के मध्य निदेशक कार्यालय एवं विभागीय वैब साईट पर किया जाएगा।

4. स्थानान्तरण आदेश

बिन्दु संख्या 03 के अनुसार समस्त कार्यवाही होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी स्थानान्तरण आदेश जारी करेंगे। सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी से तात्पर्य संयुक्त शासन

सचिव/उप शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से है ।

5. स्थानान्तरण के मानदण्ड

5.1. निम्न श्रेणी के अध्यापकों का स्थानान्तरण आवश्यक रूप से किया जायेगा –

(अ) जिनके द्वारा एक ही ग्राम/शहर में स्थित विद्यालय/विद्यालयों में 10 वर्ष की कार्यावधि वर्ष की 01 जुलाई को पूर्ण कर ली हो अथवा कर ली जावेगी। परन्तु जो अध्यापक आगामी 2 वर्षों में सेवानिवृत हो रहे है, उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(ब) बालिका प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वर्ष की 01 जुलाई को 50 वर्ष से कम उम्र के पुरूष प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य व अध्यापक।

(स) ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जिनके विद्यालय में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय (किसी भी एक कक्षा) का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्रामों के विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जावेगा।

(द) ऐसे प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जिनके विद्यालय के 8वीं बोर्ड/स्थानीय परीक्षा परिणाम में 70 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों ने 'डी' ग्रेड/40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त की हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(य) ऐसे प्राध्यापक (व्याख्याता)/वरिष्ठ अध्यापक जिनके विषय का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय (किसी भी एक कक्षा) का परीक्षा परिणाम गत तीन वर्षों में से दो वर्षों में 50 प्रतिशत से कम रहा हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(र) ऐसे वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक जिनके विषय में 8वीं बोर्ड/स्थानीय परीक्षा में गत तीन वर्षों में से दो वर्षों में 50 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा 'डी' ग्रेड/40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया हो, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा।

(ल) ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाये जा रहे विषय में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों का अधिगम स्तर (Learning Level) ''डी'' ग्रेड/40 प्रतिशत से कम अंक है, तो उन्हें 'द' श्रेणी में स्थित ग्राम विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जावेगा।

(व) समानीकरण प्रक्रिया से अधिशेष घोषित अध्यापक।

5.2. यदि बालिका प्रवेशिका/बालिका वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में कार्य करने हेतु महिला अध्यापक (ग्रेड–iii, ग्रेड ii व ग्रेड–i) व प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं हो तो 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष अध्यापकों को पदस्थापित करने हेतु विचार किया जायेगा।

5.3. विद्यालय में वर्ष की 1 जुलाई को 02 वर्ष की पदस्थापन अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

5.4. समानीकरण के पश्चात् पदस्थापन वाले विद्यालय में दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक भी स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

5.5 विषय अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्राध्यापक (व्याख्याता) को उनके विषय के रिक्त पद पर ही पदस्थापित किया जायेगा।

5.6. एन.सी.सी. ऑफिसर के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अध्यापक को यथासम्भव एन.सी.सी यूनिट वाले विद्यालय में ही पदस्थापित किया जायेगा। यदि एन. सी.सी. यूनिट वाले विद्यालय में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसे अध्यापकों को एन.सी.सी. यूनिट रहित विद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकेगा ताकि वे उक्त विद्यालयों में नवीन एन.सी.सी. यूनिट प्रारम्भ कर सकें।

5.7. समानीकरण प्रक्रिया से अधिशेष घोषित होने वाले अध्यापक भी स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थानान्तरण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

5.8 सभी संवर्गों के नवीन पदस्थापित अध्यापक जिन्हें पदस्थापन की तिथि से तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं वे स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रतिबंधित जिलों में नवीन पदस्थापित अध्यापक, जिन्हें पदस्थापन की तिथि से पॉच वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वे स्थानान्तरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

5.9. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के शिक्षकों का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा तथा इनकी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था में भी शहरी क्षेत्र में पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

5.10 वरीयता निर्धारण हेतु पात्रता अंकों के आवंटन के पश्चात् यदि शिक्षकों के अंक बराबर हों तो विद्यालय में अधिक समय से पदस्थापन (Longest Stay) वाले शिक्षक को स्थानान्तरित किया जाएगा।

5.11 . प्रतिबंधित जिलों में रिक्त पदों की संख्या स्वीकृत पदों के 25% से अधिक होने पर इन जिलों से अन्तर्जिला स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

5.12. अन्तर्जिला स्थानान्तरण के अन्तर्गत यथासम्भव तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित विद्यालय के संभागाधीन जिलों के बाहर नहीं किये जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में स्थानान्तरण राज्य सरकार से अनुमति के पश्चात् किये जायेंगे।

6. वरियता निर्धारण हेतु पात्रता अंकों का आवंटन

6.1. सामान्य पात्रता अंक–

6.1.1 स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापकों को निम्नानुसार पात्रता अंक आंवटित किये जायेंगे –

(अ) स्थान के आधार पर गत 10 वर्षों में विद्यालयों/विद्यालय में 01 जुलाई को पूर्ण की गई सेवा अवधि हेतु–

(i). 'द' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 5 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

(ii).'स' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 3 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

(iii).'ब' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 2 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

(iv). अ' श्रेणी स्थानों में स्थित विद्यालय के लिये 1 अंक प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि पर।

नोट– यदि कोई अध्यापक गत 10 वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो उसे उन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति स्थान की श्रेणी के आधार पर अंक देय होंगे।

(ब) वर्ष की 01 जुलाई को अध्यापक द्वारा सेवा में पूर्ण की गई प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिये 0.5 अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.1.2. ग्राम/शहर निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे –

(i) 'अ' श्रेणी– जिला मुख्यालय एवं 50000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर एवं उनके 08 किमी परिधि क्षेत्र में स्थित ग्राम।

(ii) 'ब' श्रेणी– 50000 तक की जनसंख्या वाले शहर (नगरपालिका/उपखण्ड/तहसील मुख्यालय) एवं उनके 08 किमी परिधि क्षेत्र में स्थित ग्राम।

(iii) 'स' श्रेणी– शहर/उपखण्ड/तहसील मुख्यालय से 08 किमी से अधिक एवं 20 किमी दूरी तक स्थित सड़क से जुड़े 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम।

(iv) 'द' श्रेणी– शेष ग्राम जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हों।

6.1.3. जिले के समस्त शहरों एवं ग्रामों का उपरोक्त अ, ब, स, द श्रेणीवार विभाजन निदेशालय, संस्कृत शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

- निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त शहर व ग्रामों की श्रेणीवार सूची तैयार की जायेगी
- इस संबंध में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का निस्तारण भी निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

6.2. विशेष पात्रता अंक (अतिरिक्त अंक)

(अ) अविवाहित/एकल महिला अध्यापक को 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ब) अध्यापक जिसका पति/पत्नि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय में कर्मचारी हो एवं वह उसके पदस्थापन स्थान या उसके निकट स्थानान्तरण चाहता है/चाहती है तो उसे 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(स)(i) समानीकरण से प्रभावित अध्यापक जिन्होंने वर्तमान विद्यालय में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है, उन्हें 10 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(ii) समानीकरण से प्रभावित पति–पत्नि श्रेणी के अध्यापक जिन्होंने पूर्व में स्थानान्तरण में इस श्रेणी का लाभ लिया हो एवं बिन्दु संख्या 5.1 (अ) के अनुसार 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है तो उन्हें 6.2(ब) एवं (स)

दोनो बिन्दुओं के अनुसार अतिरिक्त अंक देय होंगे, यानि कुल 20 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(द) राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को 10 अतिरिक्त अंक एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को 5 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(य) (i) संस्था प्रधान/विषय अध्यापक को 8 वीं बोर्ड परीक्षा के गत 5 वर्षों में से 100 प्रतिशत छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड/41 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 अतिरिक्त अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड/41 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

(ii) संस्था प्रधान/विषय अध्यापकों को प्रवेशिका परीक्षा के गत 5 वर्षों में से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 2 अतिरिक्त अंक एवं 90 से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए 01 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

(iii)संस्था प्रधान/विषय अध्यापकों को वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के गत 5 वर्षों में से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 2 अतिरिक्त अंक एवं 90 से 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहने वाले वर्षों के लिए 01 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

(iv)संस्था प्रधान/विषय अध्यापकों/अध्यापकों को गत 5 वर्षो में विद्यालय के छात्रों के NTSE/STSE (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा/राज्य प्रतिभ खोज परीक्षा) परीक्षा में छात्रवृत्ति हेतु अंतिम चयन होने पर एवं प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में आने पर प्रति छात्र अतिरिक्त 5 अंक दिये जावेंगे।

(v) ऐसे अध्यापक जिनके द्वारा प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाये जा रहे विषय में गत 5 वर्षों में 100 प्रतिशत छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड/51 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 अतिरिक्त अंक तथा 90 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत

से कम छात्रों द्वारा 'सी' ग्रेड अथवा उससे उच्च ग्रेड/51 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 1 अतिरिक्त अंक आवंटित किया जावेगा।

7. विशेष श्रेणी

पात्रता अंको के अभाव में भी निम्न श्रेणी के अध्यापकों को स्थानान्तरण वरियता सूची में प्राथमिकता दी जायेगी–

(अ) 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग।

(ब) विधवा।

(स) परित्यक्ता (कानूनी रूप से विवाह विच्छेद शुदा अध्यापिका)।

(द) निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित अध्यापक।

(i) कैन्सर।

(ii) गुर्दा प्रत्यारोपण।

(iii) हृदय शल्य चिकित्सा।

(iv) neuro surgery

(य) जिनके आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो एवं उपचारत हो।

(र) जिनके बच्चों के दिल में छिद्र एवं ब्रेन टयूमर हो तथा वे उपचाराधीन हो।

नोट 1 : उपरोक्त अ, द, य, र के संबंध में प्रार्थना–पत्र के साथ सक्षम मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया जायेगा (जो जिला/राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया जायेगा/द्वारा प्रमाणित किया जायेगा)।

नोट 2 : विशेष श्रेणी के अध्यापकों को उपरोक्त क्रमानुसार ही प्राथमिकता दी जायेगी एवं श्रेणी विशेष में वरियता पात्रता अंकों के आधार पर दी जायेगी। यदि पात्रता अंक भी समान है तो अध्यापक की वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। वरिष्ठता समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु के अध्यापक को वरियता में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी साथ ही जो अध्यापक शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में चयनित हुए हैं एवं उनकी सेवा पुस्तिका में उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो उन्हें स्थानान्तरण हेतु नवीन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।

8. रिक्त स्थानों का निर्धारण एवं प्रकाशन

8.1. स्थानान्तरण हेतु रिक्तियों का प्रकाशन निम्नानुसार किया जायेगा–

(i) वर्तमान में स्पष्ट रूप से रिक्त पद।

(ii) नीति के बिन्दू सं. 5.1 के अनुसार आवश्यक स्थानान्तरण से होने वाले रिक्त पद।

(iii) स्थानान्तरण परामर्श प्रक्रिया के दौरान रिक्त होने वाले पद प्रक्रिया के दौरान प्रकाशित किये जायेंगे।

8.2. सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण हेतु रिक्त स्थानों का प्रकाशन किया जाएगा। रिक्त स्थानों के निर्धारण में नामांकन के मध्यनजर समानीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार प्रक्रिया भी अपनाई जायेगी।

नोट : जिले में उपलब्ध कुल रिक्त पदों के अनुपात में ही समस्त विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से पद रिक्त रखे जायेंगे (परन्तु किसी भी विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों का पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित किया जावे)।

9. रिक्त पदों एवं वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

9.1. निम्न सूचियाँ विभागीय वेबसाईट एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा के कार्यालय में प्रदर्शित की जावेगी–

(i) श्रेणीवार (श्रेणी अ,ब,स,द) विद्यालयों की सूची।

(ii) भरे जाने वाले विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची।

(iii) स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापकों की पात्रता अंक सहित पात्रता अंकों के आधार पर वरियता सूची।

9.2. स्थानान्तरण आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् पात्रता अंकों के अनुसार, संवर्गवार (अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य) एवं विषयवार वरियता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाईट एवं निदेशक, संस्कृत शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी।

10. ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र

10.1 जो अध्यापक बिन्दू सं.–5 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र है वे स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियाँ अंतिम होगी एवं उन्हें बाद में संशोधित नहीं किया जा सकेगा।

10.2 आवेदनकर्त्ता अपने आवेदन पत्र का वेबसाईट से प्रिंट लेकर, हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

10.3 जो आवेदनकर्त्ता विशेष श्रेणी/पति–पत्नि श्रेणी में आवेदन करता है तो उसे प्रार्थना–पत्र के साथ सुसंगत प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, संलग्न करना आवश्यक है।

10.4 जो अध्यापक बिन्दू सं.– 5.1 के अन्तर्गत आते है, उनका आवश्यक रूप से स्थानान्तरण किया जायेगा। इस हेतु उन्हें पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

11. आपत्तियाँ प्राप्त करना एवं उनका निस्तारण

11.1. बिन्दू सं. 9 के अन्तर्गत प्रकाशित वरियता सूची एवं पात्रता अंकों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उसे ऑनलाईन या लिखित में निदेशक संस्कृत शिक्षा को प्रमाण सहित निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत किया जावेगा।

11.2. निदेशक संस्कृत शिक्षा जाँच करवा कर आपत्तियों का निस्तारण करेगे एवं यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो तद्नुसार पात्रता अंकों एवं वरियता सूची में संशोधन कर संशोधित वरिष्ठता सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

12. स्थानान्तरण आदेश जारी करना

12.1.स्थानान्तरण हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी श्रेणीवार एक साथ स्थानान्तरण आदेश जारी करेगा। प्रत्येक अध्यापक हेतु पृथक–पृथक आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।

12.2. जिन अध्यापकों का बिन्दू सं.–5 के अन्तर्गत आवश्यक रूप से स्थानान्तरण किया जाना है उनके स्थानान्तरण आदेश वरीयता अंकों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

12.3. समस्त स्थानान्तरण आदेश वेबसाईट एवं निदेशक संस्कृत शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शित किये जायेंगे।

13. अपील

निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को 10 दिवस में अपील की जा सकेगी। अपील का निस्तारण 30 दिवस में आवश्यक रूप से किया जावेगा।

14. राज्य सरकार के अधिकार

14.1 रिविजन

राज्य सरकार/प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर या अपनी ओर से (sou-moto) स्वयं को संतुष्ट करने के लिये स्थानान्तरण संबंधी पत्रावली मंगवा सकेंगे। यदि राज्य सरकार/प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा को यह प्रतीत होता है कि ऐसी कार्यवाही स्थानान्तरण नीति अनुसार नहीं है, तो वह उन्हें पुनःरीक्षित (revised), संशोधित (modify), रद्द/निरस्त कर सकेगा या निर्देशों के साथ त्रुटि ठीक करने हेतु सक्षम अधिकारी को भेज सकेगे। ऐसे आदेशों की पालना सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जावेगी।

14.2 गलत सूचना देने या नीति विरूद्ध कार्य करने पर दण्ड

14.2.1 किसी भी अध्यापक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थानान्तरण आवेदन–पत्र में गलत सूचना एवं प्रमाण–पत्र देने पर एवं ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत सूचना प्रमाणित की है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

14.2.2 स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी यदि नीति विरूद्ध स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाते हैं तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

14.3. राज्य सरकार गम्भीर शिकायत पर प्राथमिक जाँच पश्चात् कारण स्पष्ट करते हुये प्रशासनिक कारणों से अध्यापकों का स्थानान्तरण कर सकेगी।

14.4 इस स्थानान्तरण नीति में राज्यहित में समय–समय पर संशोधन करने का विशेषाधिकार राज्य सरकार में निहित रहेगा।

****